

BUNDELKHAND SAHAKARI DUGDH SANGH MARYADIT
SIRONJA, SAGAR 470004

E-mail: sanchimccsagar@gmail.com
Phone 07582-281345

क्रमांक 780 / बु.स..दु.सं. / सं.सं. / 2019

दिनांक: 10.10.2019

ई-निविदा सूचना (द्वितीय)

बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, सागर के अधीन कार्यरत दुग्ध संयंत्र सागर एवं पशु आहार संयंत्र सागर में डब्ल्यू.सी.एल./एस.ई.सी.एल./एन.सी.एल./एम.एस.टी.सी/के विभिन्न खदानों से कोयला ई-ऑक्शन के माध्यम से बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, सागर हेतु क्रय कर परिवहन करने हेतु ऑनलाइन द्वितीय ई-निविदा आमंत्रित की जाती है। ई-निविदा प्रपत्र निर्धारित मूल्य ऑनलाइन जमा कर मध्यप्रदेश ई-प्रोक्योरमेन्ट की वेबसाइट (<https://www.mptenders.gov.in>) से दिनांक 11 / October / 2019 से क्रय की जा सकती है।

ई-निविदा से संबंधित विस्तृत विवरण मध्यप्रदेश दुग्ध महासंघ की वेबसाइट पर (<http://www.mpcdf.gov.in>) पर देखा एवं पढ़ा जा सकता है।

ई-निविदा प्रपत्र जारी करने की दिनांक 10 / 10 / 2019

ई-निविदा प्रपत्र विक्रय की अंतिम दिनांक 16 / 10 / 2019 समय दोपहर 4:00 बजे तक है।

ई-निविदा प्रपत्र भरने की अंतिम दिनांक 16 / 10 / 2019 समय दोपहर 04:00 बजे तक है।

ई-निविदा प्रपत्र खोलने का दिनांक 17 / 10 / 2019 समय दोपहर 03:00 बजे तक है।

किसी भी निविदा को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, सागर के पास सुरक्षित रहेगा।

क्रमांक	विवरण	अमानत राशि	निविदा प्रपत्र क्रय मूल्य
01	डब्ल्यू.सी.एल./एस.ई.सी.एल./एन.सी.एल./एम.एस.टी.सी के विभिन्न खदानों से कोयला ई-ऑक्शन के माध्यम से क्रय कर दुग्धसंयंत्र सागर एवं पशु आहार संयंत्र सागर तक परिवहन कार्य	रु. 1.00 लाख मात्र	राशि रु. 500.00

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

निविदा प्रपत्र	
निविदा कार्य – म.प्र. की विभिन्न खदानों से बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, सागर के अधीन कार्यरत दुग्ध संयंत्र सागर एवं पशु आहार संयंत्र सागर तक कोयला परिवहन हेतु ई-निविदा।	
ई-निविदा प्रपत्र का मूल्य	रु. 500 / – (अक्षरी- रूपये पाँचसौ मात्र)
1. ई-निविदा प्रपत्र जारी करने की दिनांक एवं समय।	दिनांक: 10.10.2019 दोपहर 4.00 बजे से (ई पोर्टल के माध्यम से)
2. ई-निविदा प्रपत्र विक्रय करने की अंतिम दिनांक एवं समय	दिनांक: 16.10.2019 दोपहर 04.00 बजे तक (ई पोर्टल के माध्यम से)
3. ई-निविदा प्रपत्र भरने की अंतिम दिनांक एवं समय	दिनांक: 16.10.2019 दोपहर 04.00 बजे तक (ई पोर्टल के माध्यम से)
4. ई-निविदा प्रपत्र खालने का दिनांक एवं समय	दिनांक: 17.10.2019 दोपहर 3.00 बजे (ई पोर्टल के माध्यम से)
5. ई-निविदा खुलने का स्थान	कार्यालय, बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, सागर
6. पत्र व्यवहार हेतु पता	कार्यालय, बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, सिरोंजा, सागर-470004 (म.प्र.)
7. अमानत राशि	रूपये 1.00 लाख मात्र (रूपये एक लाख मात्र)
8. संलग्न प्रपत्र	01- परिशिष्ट- (अ), सामान्य नियम एवं शर्त 02- परिशिष्ट- (ब) निविदाकर्ता की जानकारी (आवश्यक रूप से प्रत्येक निविदाकर्ता को भरना है।) 03- परिशिष्ट- (स), दर प्रपत्र

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, सागर

(1)
परिशिष्ट-‘अ’
सामान्य नियम एवं शर्तें

1. निविदा कार्य :

(अ) बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, सागर के अधीन कार्यरत दुग्ध संयंत्र सागर एवं पशु आहार संयंत्रतक वेस्टर्न कोल फील्ड, साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड, एवं नार्दन कोल फील्ड के कोलरी से स्टीम कोल परिवहन का कार्य।

(ब) निविदा प्रपत्र का मूल्य राशि रूपये 500/- (रूपये पाँचसौमात्र) हैं जो कि ऑनलाइन के माध्यम से निविदा क्रय की जा सकती हैं। निविदा प्रपत्र भरने की अंतिम तिथि 16.10.2019 समय दोपहर 4:00 बजे तक हैं।

2. **निविदा दरें :** मुख्य संयंत्र हेतु दरें में केवल ऑनलाइन ही भरना है। निविदाकार स्वयं के लेटर पेड पर भरे गये प्रपत्र मान्य नहीं किये जायेंगे। निविदाकार दर प्रस्तुत करते समय किसी भी प्रकार के टैक्स का विवरण (Inclusive or Exclusive) आवश्यक रूप से अंकित करें।

3. निविदा द्वारा अनुबंधित दरें अनुबंध दिनांक 00.00.2019 से दो वर्ष के लिये प्रभावशील रहेगी, एवं कार्य संतोषप्रद होने की दशा में पूर्व अनुमोदित दर एवं शर्त पर आपसी सहमति अनुसार एक-एक वर्ष करके अनुबंध अवधि में अतिरिक्त तीन वर्ष की वृद्धि की जा सकती हैं।
4. सशर्त निविदा दरें विचारणीय नहीं रहेगी। अतः निविदाकर्ता को संघ की निर्धारित शर्तों के अनुरूप दरें प्रस्तावित करना होगी।
5. अमानत राशि रू. 1,00,000.00 (रूपये एक लाख मात्र) केवल ऑनलाइन ई-पोर्टल द्वारा अपलोड कर ही भरना है।
6. बिना अमानत राशि की निविदाएँ अमान्य रहेगी और निरस्त मानी जावेगी। निविदा के प्रथम एवं द्वितीय न्यूनतम दर निविदाकारों की अमानत राशि को छोड़कर अन्य सभी निविदाकारों की अमानत राशि वापस कर दी जावेगी, जिस पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।
7. निविदाकर्तागण कार्य अनुभव के, एवं वर्तमान में जारी प्रतिष्ठित फर्मों के तत्संबंधी कार्यों के अनुबंध के आशय पत्र सलंगन करें। अनुभवी निविदाकर्ता को प्राथमिकता दी जा सकती हैं।
8. संघ द्वारा निविदा प्रपत्र में उल्लेखित शर्तों को निविदाकर्ता द्वारा दृढ़ता के साथ परिपालन करना अतिआवश्यक रहेगा। यदि कोई अनुबंधकर्ता शर्तों का परिपालन करने में असफल/अनियमित पाया गया तो किसी भी समय बिना पूर्व सूचना के या बिना कारण

दर्शाये अनुबंध को समाप्त करने का अधिकार भी संघ को आरक्षित रहेगा। अनुबंधकर्ता के कारणवश संघ को किसी भी प्रकार की आर्थिक हानि पाये जाने पर प्रतिभूति राशि राजसात करने योग्य रहेगी।

9. ई-ऑक्शन:- संघ की आवश्यकतानुसार डब्ल्यू.सी.एल(महाराष्ट्र एवं मध्यप्रदेश की खदान)/एस.ई.सी.एल/एन.सी.एल./एम.एस.टी.सी से कोयले आवंटन हेतु ई-ऑक्शन के द्वारा दरें भरकर न्यूनतम दरों पर कोयला क्रय की कार्यवाही करने की जवाबदारी अनुबंधकर्ता की होगी, जिसका परिवहन करना एवं इसके डी.ओ. एवं देयकों का ब्यौरा एवं देयक प्राप्ति की व्यवस्था अनुबंधकर्ता को करनी होगी। एल.आर.के साथ कोलरी का गेटपास होना अनिवार्य है, इसके अभाव में कोयले की गाड़ी स्वीकार्य नहीं होगी। कम से कम दर पर उच्च गुणवत्ता के कोयला ई-ऑक्शन के द्वारा प्राप्त करना अनुबंधकर्ता का दायित्व रहेगा। सम्पूर्ण कार्यवाही ई-ऑक्शन से लेकर डी.ओ. तक कोयला कितने दिन में पूरा परिवहन किया जायेगा का स्पष्ट उल्लेख करना अनिवार्य है। विलम्ब से कोयला प्राप्त होने पर आर्थिक दण्ड किया जावेगा।
10. निविदाकर्ता जी.एस.टी. रजिस्ट्रेशन नंबर का उल्लेख कर प्रतिलिपि संलग्न करें। अनुबंधकर्ता को आयकर विभाग से पेन नंबर, जी.एस.टी. विभाग से जी.एस.टी. निविदा प्रपत्र के साथ प्रस्तुत करने होंगे जिसके बिना निविदा प्रपत्र अस्वीकार किया जावेगा।
11. परिवहन की अवधि में कोयले की गुणवत्ता एवं मात्रा में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होना चाहिये। गुणवत्ता का निरीक्षण संघ की समिति द्वारा किया जावेगा।
12. अनुबंधकर्ता को संपूर्ण कोयला खदान से आंवटित ग्रेड का प्रदाय करना होगा तथा यह भी सुनिश्चित करना होगा कि कोयला उसी गुणवत्ता का प्रदाय हो। इसका परीक्षण नार्थन कोल फील्ड्स/वेस्टर्न कोल फील्ड्स/साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड की अधिकृत प्रयोगशाला अथवा प्रतिष्ठित प्रयोगशाला में कराया जा सकता है, जिस अनुसार आंवटित कोल के निम्न स्तर का पाये जाने पर जुर्माना वसूल किया जावेगा जिसकी, अधिकतम राशि कुल कोयले के मूल्य के बराबर हो सकती हैं।
13. दुग्ध संयंत्र पर पहुंचने के पश्चात् तुलवाकर कोयला दुग्ध संयंत्र कोल यार्ड में परिवहनकर्ता द्वारा खाली करवाना होगा अर्थात् अनलोडिंग व्यय परिवहनकर्ता को वहन करना होगा। अगर किसी परिस्थिति में परिवहनकर्ता द्वारा अनलोडिंग कार्यनहीं करवाया जाता है तो संघ द्वारा खाली करवाने पर होने वाले व्यय का कटोत्रा परिवहन देयक से किया जावेगा।
14. परिवहन की अवधि में कोयले गुणवत्ता एवं मात्रा में किसी प्रकार परिवर्तन नहीं होना चाहिये। क्वालिटी का निरीक्षण संघ की समिति द्वारा किया जावेगा। यदि गुणवत्ता में अंतर पाया जाता है तो गुणवत्तापरीक्षण उपरांत अनुपात में राशि काटी जा सकेगी तथा जुर्माना भी लगाया जा सकेगा। निम्न गुणवत्ता का कोयला स्वीकार नहीं होगा। कोयले के वनज में कमी अधिक से अधिक 1: (एक प्रतिशत) छूट योग्य रहेगी (केवल खदानों के लिये मान्य) इससे अधिक कमी होने पर उसकी वसूली कोल इण्डिया लिमिटेड की दर के अनुसार परिवहन के भुगतान में से की जावेगी। यदि वजन डिलीवरी चालान में अंकित मात्रा से अधिक पाया गया तो उस

दशा में मूलतः रवाना की गई मात्रा के आधार पर ही भुगतान स्वीकृत परिवहन की दरों के आधार पर ही देय होगा। ट्रांसशिपमेंट(पल्टी) की स्थिति में अनुबंधकर्ता को उस स्थान का पूर्ण ब्यौरा देना होगा जिससे संघ के प्रतिनिधि की उपस्थिति में आवश्यक कार्यवाही की जा सकें।

- 15(अ). विभिन्न क्षेत्रों की खदानों से कोयलाबुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित,सागरके अधीन कार्यरत दुग्ध संयंत्र सागर एवं पशु आहार संयंत्रहेतु परिवहन किया जाना हैं। दुग्ध संयंत्रों को विभिन्न क्षेत्रों की खदानों से समय पर कोयला प्रदाय न होने की दशा में संघ को बाहर से कोयला क्रय करने पर होने वाले अतिरिक्त भुगतान की राशि निविदाकर्ता से वसूल की जावेगी।
- 15(ब). सर्वप्रथम अनुमोदित निविदाकर्ता को संघ द्वारा स्वीकृत दरों की सूचना प्रेषित की जावेगी, उसके अनुरूप अनुबंध की राशि रु. 3,00,000.00(रुपये तीन लाख मात्र) डी.डी. के माध्यम से जमा किया जाना अनिवार्य है जो कि अनुबंधित अवधि के पश्चात सफलता पूर्वक अनुबंध की भातों का परिपालन करने की अवस्था में बिना ब्याज के वापसी योग्य रहेगी।
- 15(स). परिवहनकर्ता को संबंधित क्षेत्र की खदानों के विक्रय विभाग के कार्यालयों में परमिट के साथ संलग्न ड्राफ्ट निर्धारित समयावधि में जमा करना अनिवार्य होगा, जिसका रोड़ रिलीज आर्डर मय नगदी रसीद के साथ संघ के कार्यालय को 15 दिवस की अवधि में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

रोड़ रिलीज कोल परिवहन कार्य:-

- 16.अ वेस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड अथवा एस.ई.सी.एल. के वर्तमान नियमों के अनुरूप कोयला प्राप्त करबुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित,सागरके अधीन कार्यरत दुग्ध संयंत्र सागर एवं पशु आहार संयंत्रसागरके गंतव्य स्थान तक परिवहन करना अति आवश्यक रहेगा। खदान के गेटपास में अंकित वाहन द्वारा ही कोयला स्वीकार किया जावेगा। म.प्र. की खदानों से क्रय किये जाने वाले कोयले के गेटपास एल. आर. के साथ संलग्न करना अनिवार्य हैं।
- 16.ब विशेष परिस्थितियों मेंपरिवहन किये जाने वाले वाहनों के नंबरों में परिवर्तनहोने की सूचना परिवहन के पूर्व संघ कार्यालय में प्रेषित की जाना अनिवार्य होगी, जिसके अभाव में देयक पारित किया जाना संभव नहीं होगा जिसकी संपूर्ण जवाबदारी परिवहनकर्ता की होगी।
17. कोयले के परिवहन का भुगतान केवल निर्धारित शर्तों का परिपालन करने पर संबंधित अनुबंधकर्ता को न्यूनतम वजन का स्वीकृत दरों पर किया जाना संभव होगा। विवादास्पद वाहन का भुगतान शर्तों के अधीन निराकरण होने के पश्चात् ही देय होगा। प्राप्त कोयले का वजन खदान के प्रेषित विवरण के आधार पर ही देय होगा। प्राप्त कोयले का वजन खदान के गेटपास अथवा अन्य तौल रसीद में अंकित न्यूनतम वजन के आधार पर ही भुगतान योग्य होगा।

18. अनुबंधकर्ता को संपूर्ण आवंटित कोयला निर्धारित समयावधि में शीघ्रता से पहुँचाना होगा तथा यह सुनिश्चित करना होगा कि, जमा राशि का माल पूर्ण रूप से खदानों पर से समय सीमा में उठाया जावे। यदि किन्ही अनियंत्रित परिस्थितियों में कोयला उठाना शेष रहता है, तो सक्षम अधिकारी से बेलेंस सर्टिफिकेट प्राप्त कर इस कार्यालय को सूचना देनी होगी।

19. अनुबंधकर्ता को प्रदाय किये गये रोड़ रिलीज ऑर्डर के कोल से संबंधित बेलेंस एवं रिफण्ड्स प्राप्त करने हेतु मध्यस्थता करनी होगी। बिल प्राप्त न होने की अवस्था में प्रतिभूति राशि लौटाने योग्य नहीं रहेगी। आंबटित कोयला किसी कारण न उठाने की दशा में, रिफण्ड में से कोई भी कटौती संघ को मान्य नहीं होगा इसकी जिम्मेदारी परिवहनकर्ता की होगी।

तौलने का कार्य:-

20. संघ को प्रदाय किये जाने वाले ट्रक का वजन संयंत्र में उपलब्ध तौल-काँटे पर संघ के प्रतिनिधि एवं सुरक्षा अधिकारियों की उपस्थिति में किया जायेगा, यदि किन्ही अपरिहार्य परिस्थितियों में तौल-काँटा खराब होगा, तो उस अवस्था में परिवहनकर्ता को निकट के सार्वजनिक तौल-काँटे पर वजन करवाना होगा तथा उसका व्यय भी स्वयं वहन करना होगा।

21. बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित,सागरके अधीन कार्यरत दुग्ध संयंत्र सागर एवं पशु आहार संयंत्रसागरपहुँचते ही प्रबंधक को कार्यालय/निवास पर दूरभाष द्वारा ट्रक पहुँचाने की सूचना प्रेषित करनी होगी और तौल करवाने के लिये आमंत्रित करना होगा।

भुगतान:-

22. कोयले के परिवहन का भुगतान अनुबंधकर्ता को संबंधित माह की दिनांक 01 से 15 तक एवं 15 से 30/31 तक प्राप्त बिलों का भुगतान संबंधित कोलरी से मूल देयक प्राप्त होने के उपरांत ही किया जा सकेगा। किन्ही भी परिस्थितियों में अग्रिम रूप से परिवहन व्यय देय नहीं होगा।

01- अनुबंधकर्ता को आवंटन अनुसार कोयला प्रदाय करने की संपूर्ण जिम्मेदारी परिवहनकर्ता की होगी।

02 ई-ऑक्शन हेतु ईएमडी एवं कोयले के मूल्य हेतु डी.डी बनवाने संबंधी सूचना 07 दिवस पूर्व कार्यालयीन कार्य दिवस में प्राप्त होना अनिवार्य है।

03- रोड़ रिलीज ऑर्डर हेतु डी.डी. प्रदाय दिनांक से 45 दिन के अंदर स्टीम कोल संघ को प्राप्त होना अनिवार्य हैं। खदानों से कोयला लिफ्टिंग कार्यक्रम की सूचना भी तत्काल प्रबंधक को देना होगी।

04- स्टीम कोल की गुणवत्ता, डी.ओ. में दर्शाये अनुसार चूरा, डस्ट पत्थर एवं स्लेज रहित कोयला संघ को प्राप्त होना चाहिए।

05- रिलिज ऑर्डर अनुसार समस्त मात्रा के कोयला प्रदाय करने की व्यवस्था परिवहनकर्ता द्वारा अपने स्तर से ही की जावेगी। संघ को नियमित रूप से कोयला प्रदाय न करने की अवस्था में अन्य स्रोत से क्रय करने की स्थिति में अंतर की राशि की वसूली

परिवहनकर्ता से की जावेगी। जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी कोल एजेन्ट/ परिवहनकर्ता की होगी।

06- संघ द्वारा वेस्टर्न/नार्थन/एसईसीएल कोल फील्ड को जो भुगतान किया जाता है, उसके समायोजन पश्चात् शेष राशि की वसूली एजेंट/परिवहनकर्ता द्वारा की जावेगी, अन्यथा उक्त राशि की वसूली परिवहनकर्ता के देयकों से की जावेगी।

07- आवंटित डी.ओ. के देयक तथा अन्य दस्तावेज संघ को आवंटित कोयले परिवहन के एक सप्ताह में उपलब्ध कराना होगी। तदुपरांत ही परिवहन भुगतान किया जायेगा।

वैधानिक नियमानुसार टेक्स आदि का कटौती संघ द्वारा किया जावेगा। संपूर्ण बिल प्राप्त होने पर अंतिम समायोजन के पश्चात् संबंधित धरोहर राशि वापसी योग्य रहेगी।


इस अनुबंध पत्र की किसी भी कण्डिका के पूर्ण अथवा किसी भी भाग की व्याख्या के कारण उत्पन्न हुये किसी भी विवाद का निराकरण पंचाट(आर्बीटेशन) के माध्यम से किया जावेगा। जिसकी अध्यक्षता, बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, सागरके अध्यक्ष/प्राधिकृत अधिकारी द्वारा की जावेगी जिसका निर्णय उभय पक्षों को बंधनकारी होगा। बिना कारण बताये निविदा को स्वीकृत/अस्वीकृत/आंशिक/निरस्त करने का अधिकार अधोहस्ताक्षकर्ता को आरक्षित रहेगा।

08-अनुमोदित परिवहनकर्ता को राशि रु. 1,000.00(रु. एक हजार मात्र) के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर संघ के साथ अनुबंध करना अनिवार्य होगा, जिसकी नोटराइज भी कराना आवश्यक होगाजिसके अभाव में परिवहनकर्ता को कोई भुगतान नहीं किया जायेगा।

नोट:- कृपया उपरोक्त सभी अनुबंधों के लिये प्रस्तावित दरें संलग्न प्रारूप में ई पोर्टल के माध्यम से एम. पी. ई प्रोक्योरमेंट साईट पर समय सीमा में अपलोड किया जाये। संघ द्वारा चाही गई समस्त अर्हतायें कम से कम तीन निविदाकारों के द्वारा पूर्ति करने पर ही दर प्रपत्र खोला जायेगा, यह ध्यान रहे कि, ई पोर्टल के माध्यम से भरे हुए निविदा प्रपत्र के दर ही स्वीकार की जावेगी।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, सागर



BUNDELKHAND SAHAKARI DUGDH SANGH MARYADIT
SIRONJA, SAGAR 470004

E-mail: sanchimccsagar@gmail.com
Phone 07582-281345

क्रमांक 780 / बु.स..दु.सं./सं.सं./2019

दिनांक: 10.10.2019

परि िष्ट –ब

निविदाकार की जानकारी

01. फर्म का नाम : _____

02. फर्म का पूर्ण पता : _____

03. दूरभाष नम्बर : _____
04. फ़ैक्स नम्बर : _____
05. ई-मेल आई.डी. : _____
06. पेन नम्बर : _____
(पैन कार्ड की छायाप्रति संलग्न करें)
07. प्रोप्रायटर/प्रबंधक/पार्टनर का नाम : _____
08. अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का पद एवं नाम : _____
09. पजीयन प्रमाणपत्र/लायसेंस का विवरण
(पंजीयन प्रमाणपत्र/लायसेंस की छायाप्रति संलग्न करें)
10. जी.एस.टी. नंबर (छायाप्रति संलग्न करें) : _____
11. क्या आपके फर्म द्वारा किसी को-ऑपरेटिव संस्था/डेयरी
को कोयला प्रदाय किया गया है । यदि हॉ तो विवरण दें। _____
12. क्या आपकी फर्म को बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध सघं

मर्यादित /एमपीसीडीएफ या अन्य सहकारी दुग्ध संघ /म.प्र.शासन या भारत शासन द्वारा ब्लैक लिस्टेड किया गया है ? हाँ /नहीं

यदि हाँ तो कारण देवे ।

हस्ताक्षर/सील

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

	<p align="center">BUNDELKHAND SAHAKARI DUGDH SANGH MARYADIT SIRONJA, SAGAR 470004</p> <p align="center">E-mail: sanchimccsagar@gmail.com Phone 07582-281345</p>
--	---

क्रमांक 780 / बु.स..दु.सं. / सं.सं. / 2019

दिनांक: 10.10.2019

PRICE-BID

S.NO	From	Till	Rate (Per Metric Ton) (Including Expenses Of Loading And UnLoading)	
			In Number	In Words
1	S.E.C.L	Bundelkhand Dugdh Sangh Mydt, Sagar Location- Sagar		
2	W.C.L (M.P.)	Bundelkhand Dugdh Sangh Mydt ,Sagar Location- Sagar		
3	W.C.L. (Maharashtra)	Bundelkhand Dugdh Sangh Mydt, Sagar Location- Sagar		

4	N.C.L	Bundelkhand Dugdh Sangh Mydt, Sagar Location- Sagar	
----------	--------------	--	--